प्रेस विज्ञप्ति
06.12.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, दिल्ली जोनल कार्यालय ने04 .12. 2024को मेसर्स शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड)एससीटीएल(, तत्कालीन प्रमोटर/निदेशक मनीष गोयल ,विशाल गोयल और उनसे संबंधित अन्य कंपनियों से जुड़े दिल्ली , एनसीआर और मुंबई में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने बैंकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में उपरोक्त संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ सीबीआई ,नई दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। प्राथमिकी(एफआईआर) के अनुसार ,एससीटीएल ने बैंकों से 989 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। मेसर्स एससीटीएल ऑटोमोबाइल और टेलीकॉम सेगमेंट में तारों और केबलों के डिजाइन और निर्माण के व्यवसाय में लगी हुई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उक्त संस्था ने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए बैंकों से ऋण लिया और बैंक के धन को ऋण के लिए इंगित उद्देश्यों के इतर विपथित किया। इसके बाद ,प्रमोटरों ने ऋण चुकाने में चूक की ,जिससे बैंकों को 989 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान हुआ।

ईडी की जांच में पता चला कि एससीटीएल फर्जी बिक्री और खरीद के साथ खाता बहियों में हेराफेरी करने में लिप्त थी। करोड़ों रुपये की बिक्री/खरीद फर्जी थी और महज बही में नाममात्र की प्रविष्टियां थीं। कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाली बड़ी रकम को फर्जी संस्थाओं के साथ समझौते करके चुकता कर दिया गया। यह भी पाया गया कि2015 - 2016में विदेशी संस्थाओं से लगभग 400 करोड़ रुपये प्राप्त होने के बावजूद ,कंपनी ने बैंकों को धोखा देने के लिए ऐसी संस्थाओं को क्रेडिट पर माल की आपूर्ति जारी रखी। जांच में पता चला कि लेन-देन फर्जी थे। कंपनी और उसके प्रमोटरों ने फर्जी/कागजी बिक्री और खरीद लेनदेन बुक करने के लिए अपने परिचित लोगों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कई संस्थाओं को नियंत्रित किया। उक्त कार्यप्रणाली के साथ ,मेसर्स एससीटीएल के प्रमोटरों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए बैंक ऋण राशि को हड़प लिया| यह पाया गया है कि जिन संस्थाओं से बड़ी मात्रा में प्राप्तियां खाता बही में दिखाई गई हैं ,उनमें से कई फर्जी संस्थाएं हैं जिन्हें निदेशकों के पहचान के व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था। निधियों को प्रसारित और स्तरित किया गया ताकि इसकी उत्पत्ति को छिपाया जा सके और प्रमोटरों के निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा इतर उद्देश्यों के लिए अलग-अलग खातों में भेजा जा सके।

तलाशी अभियान के दौरान1 . 88करोड़ रुपये की अघोषित नकदी ,2.28 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण तथा प्रमोटरों द्वारा कई कंपनियों में रखी गई संपत्तियों/बैंक खातों से संबंधित विभिन्न साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। यह भी पाया गया कि प्रमोटरों ने कई संपत्तियां फर्जी संस्थाओं के नाम पर अर्जित की हैं ,जिनमें उनके पहचान के व्यक्तियों को निदेशक बनाया गया है।

आगे की जांच जारी है।